(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

रामजीलाल बनाम नानकचन्द

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र (रिव्यू) पुनरावलोकन नं. 06/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30/01/2020	वकील उभयपक्ष उप०, पुनर्विलोकन प्रा०पत्र हेतु तथ्य इस प्रकार से है कि यह प्रा०पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 18/6/2018 को इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम देवखेड़ा में दिनांक 18/6/2018 को मूल दावा प्रकरण रामजीलाल बनाम नानकचन्द में जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। जिसमें प्रकरण के तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों तथा राजस्व लोक अदालत के अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों के निर्देशों, परिपत्र एवं विधिक प्रावधानों के बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। जिसका पुनरावलोकन आवश्यक है। न्यायालय श्रीमान ने उक्त प्रकरण को सिविल वाद के नेचर का मानते हुए निर्णित किया है जब कि इस बाबत न तो जवाब दावा में एवं न ही प्रतिवादीगण ने न्यायालय में कभी भी आपत्ति प्रस्तुत की है। जिससे न्यायालय द्वारा पारित यह आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश होकर काबिल पुनर्अवलोकन है। वाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अध्ययन नहीं किया है। इसे पुनर्अवलोकन स्वीकार किया जा सकता है प्रकरण में साक्ष्य भी नहीं हुई थी। इस निर्णय से प्रार्थीगणों को अपूर्णनीय क्षति होती है। जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मामला रिओपन कर निर्णय प्रदान करने की आज्ञा प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 3/01/20 को जवाब प्रा०पत्र पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों से सामान्य रूप से इन्कार करते हुए कथन किया है कि तथाकथित इकरारनामा तारीखी 13-2-80 के कथी	

उपखण्ड अधिकारी

सिविल कोर्ट का जिसके बाद न्यायालय ने दिनांक 8-6-2018 को विधिवत आदेश पारित किया है। धारा 19 RTA के तहत ग्रामीणों की रिवीजन वापस खारिज करने की नहीं हुई है। पारित निर्णय विधिवत है तथा लोक अदालत के प्रावधानों के बाहर जाकर पारित नहीं किया है, प्रकरण को सिविल वाद के नेचर अधीन मानकर निर्णित किया है। न्यायालय ने कोई गम्भीर भूल नहीं की है, आदेश स्पीकिंग एवं विधि सम्मत है। दावा का मूल आधार रजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 13-2-60 का सही अवलोकन करके विधि सम्मत निर्णित किया है। जिसकी अपील पोषणीय है, रिव्यू किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय को निर्णय दिनांक 8/6/18 के विरुद्ध रिव्यू सुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलाबिल निर्णय है जिसमें रिव्यू का कोई आधार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गयी। वकील अर्जीदार द्वारा अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के समस्त कथनों को दोहराया तथा तर्क किया कि निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, जबकि दावा में प्रस्तुत रजिस्टर्ड एक इकरारनामा है। विक्रय पत्र नहीं है। इसको समझने में न्यायालय ने भूल की है, इकरारनामा के आधार पर कब्जा दिया है वह एक पट्टे की श्रेणी में आता है। इसके आधार धारा 19 RTA के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं इसलिए यह एक विधिक त्रुटि है जिसका पुनरावलोकन हो सकता है। यदि किसी प्रकार इस केस में न्यायालय में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। जिसके समर्थन में कानून नजीर AIR 1995 SC Pg. 455, AIR 1995 पटना हाईकोर्ट 5, AIR 1977 कर्नाटक 193, की दलीलें प्रस्तुत की। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि तकनीकी आधार पर निर्णय नहीं होने पर रिव्यू किया जा सकता है। पर्याप्त कारण होने पर न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है। उपरोक्त के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी

[illegible] द्वारा
तथा कथन किया कि इकरारनामा के आधार पर
रफ्ता वाद नहीं चल सकता है। न्यायालय द्वारा
पारित न्यायिक निर्णय विधिवत एवं सही है। [illegible]
को विधि मान्यता का रिव्यू नहीं कर सकते हैं। अपील
ही करनी पड़ेगी। निर्णय गलत हो सकता है लेकिन
रिव्यू का आधार नहीं हो सकता है। इस सन्दर्भ
में RRT 2005 पेज 545 की नजीर प्रस्तुत
की यह भी तर्क किया कि किसी दस्तावेज के बारे
में निर्णय हो जाता है तो अपील हो सकती है
रिव्यू नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र
विधि सम्मत नहीं है एवं खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया
तथा उभय विद्वान अधिवक्तागण पर मनन
किया। निर्णय दिनांक 8/6/18 का अवलोकन करने
पर पाया कि निर्णय में आदेश दिया है कि "दावा में
अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अनुतोष
चाहा है। इस न्यायालय द्वारा अनरजिस्टर्ड
विक्रय पत्र के आधार पर कोई अनुतोष नहीं
दिया जा सकता है वादी चाहे तो इस अनुतोष
के लिए सिविल न्यायालय में वाद पेश कर सकता
है।" वकील वादी का यह कथन है कि प्रस्तुत
दस्तावेज विक्रय पत्र नहीं है बल्कि इकरारनामा
है जिसके आधार पर भूमि का कब्जा दिया गया
है जो पट्टे की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत इकरारनामे
का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि
दस्तावेज स्टाम्प पर तहरीर है जिसमें भूमि
[illegible] पर हमेशा हमेशा के लिए
स्थानान्तरित किया जाना है आखिर जो एक
प्रकार से विक्रय पत्र ही है तथा रजिस्टर्ड नहीं
है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक
8/6/18 में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। निर्णय
विधिवत ही है। प्रार्थी वादी इससे सन्तुष्ट
नहीं है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद/अपील
प्रस्तुत करनी चाहिये। रिव्यू का कोई ठोस
आधार नहीं है। अतः इसलिए प्रार्थना पत्र विधि मान्य
नहीं है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र विधि मान्य
नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
दि. 30/01/2020

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)